<u>संख्या-72/2022/1367/26-3-2022-10(28)/1999</u>

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष आठ माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक) के लिये अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225 व 2235 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-335-37/स0क0/लेखा-बजट/वित्तीय स्वीकृति/2022-23, दिनांक-10.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-" एवं "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण" के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में **अवशेष आठ माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक)** के लिए **प्राविधानित धनराशि रू0-939193.56 लाख (रू0 तिरान्वे अरब इक्यान्वे करोड़ तिरान्वे लाख छप्पन हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-754698.03 लाख (रू0 पचहत्तर अरब छियालीस करोड़ अठठान्वे लाख तीन हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं संख्या-15/2021/ बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

पृ0 संख्या-72/2022/1367(1)/26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-62/2022/1367/26-3-2022-(80)/84, दिनांक- 11 अगस्त, 2022 का संलग्नक।
अनुदान संख्या-80

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा शीर्षक 2225 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण में वित्तीय स्वीकृतियां अवमुक्त करने के संबंध में।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
राजस्व लेखा			
2013–मंत्री परिषद			
105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
03–समाज कल्याण मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
42–अन्य व्यय	0.35	0.00	0.01
योग 105	0.35	0.00	0.01
योग : 2013	**0.35**	**0.00**	**0.01**
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01– अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001– निदेशन तथा प्रशासन			
03– मुख्यालय अधिष्ठान			
01– वेतन	1152.94	384.31	768.63
02–मजदूरी	6.00	2.00	4.00
03–महंगाई भत्ता	426.59	142.20	284.39
04–यात्रा व्यय	10.00	3.33	6.67
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	0.50	1.00
06– अन्य भत्ते	1.10	0.37	0.73
07–मानदेय	0.25	0.08	0.17
08–कार्यालय व्यय	80.00	26.67	53.33
09–विद्युत देय	65.00	21.67	43.33
10–जलकर/जल प्रभार	10.00	3.33	6.67
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25.85	8.62	17.23
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	11.00	3.67	7.33
13–टेलीफोन पर व्यय	4.50	1.50	3.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	54.00	18.00	36.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00	10.00	20.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	10.00	3.33	6.67
18–प्रकाशन	2.00	0.67	1.33
29–अनुरक्षण	12.00	4.00	8.00
42–अन्य व्यय	5.00	1.67	3.33
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	3.33	6.67
45–अवकाश यात्रा व्यय	5.00	1.67	3.33
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00	8.33	16.67
49–चिकित्सा व्यय	60.00	20.00	40.00
51–वर्दी व्यय	0.80	0.27	0.53

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 लाख में

योजना का नाम / लेखाशीर्षक / मानक मद	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय-व्ययक प्रविधान	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	84.26	28.09	56.17
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.20	5.07	10.13
योग : 03	**2107.99**	**702.68**	**1405.31**
04– मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान			
01–वेतन	636.74	212.25	424.49
03–महगाई भत्ता	235.59	78.53	157.06
04–यात्रा व्यय	5.50	1.83	3.67
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.67	1.33
06–अन्य भत्ते	6.00	2.00	4.00
07–मानदेय	0.15	0.05	0.10
08–कार्यालय व्यय	52.47	17.49	34.98
09–विद्युत देय	33.30	11.10	22.20
10–जलकर / जल प्रभार	2.75	0.90	1.85
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.65	8.55	17.10
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.05	2.02	4.03
13–टेलीफोन पर व्यय	6.00	2.00	4.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	64.80	21.60	43.20
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	1.33	2.67
17–किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	25.60	8.53	17.07
42–अन्य व्यय	0.05	0.02	0.03
45–अवकाश यात्रा व्यय	2.00	0.67	1.33
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	23.10	7.70	15.40
49–चिकित्सा व्यय	9.24	3.08	6.16
50–महगाई वेतन	0.00	0.00	0.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.17	0.33
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	34.06	11.35	22.71
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	3.33	6.67
योग : 04	**1185.55**	**395.17**	**790.38**
06– जिला कार्यालयों का अधिष्ठान			
01–वेतन	4193.22	1397.74	2795.48
03–महगाई भत्ता	1551.49	517.16	1034.33
04–यात्रा व्यय	36.85	12.28	24.57
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	11.55	3.85	7.70
06–अन्य भत्ते	5.00	1.66	3.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
07-मानदेय	1.50	0.50	1.00
08-कार्यालय व्यय	240.20	80.06	160.14
09-विद्युत देय	80.00	26.66	53.34
10-जलकर/जल प्रभार	10.00	3.33	6.67
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	44.66	14.88	29.78
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.61	6.87	13.74
13-टेलीफोन पर व्यय	22.50	7.50	15.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	225.00	75.00	150.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	2.00	4.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	15.00	5.00	10.00
42-अन्य व्यय	8.53	2.84	5.69
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.75	2.58	5.17
45-अवकाश यात्रा व्यय	10.75	3.58	7.17
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	11.00	3.66	7.34
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67.00	22.33	44.67
49-चिकित्सा व्यय	100.00	33.33	66.67
51-वर्दी व्यय	3.10	1.03	2.07
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	210.99	70.33	140.66
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	2.66	5.34
योग : 05	**6890.70**	**2296.83**	**4593.87**
योग : 001	**10184.24**	**3394.68**	**6789.56**
102 -आर्थिक विकास			
03-औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के			
प्रोत्साहन योजना			
01-वेतन	115.79	38.59	77.20
03-महगाई भत्ता	42.84	14.28	28.56
04-यात्रा व्यय	0.30	0.10	0.20
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
06-अन्य भत्ते	0.50	0.16	0.34
07-मानदेय	0.50	0.16	0.34
08-कार्यालय व्यय	0.90	0.30	0.60
09-विद्युत देय	1.10	0.36	0.74
10-जलकर/जल प्रभार	0.22	0.07	0.15
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.45	0.15	0.30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.45	0.15	0.30
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.10	0.20
49-चिकित्सा व्यय	0.60	0.20	0.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिये निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
51–वर्दी व्यय	0.05	0.01	0.04
52–पुनरीक्षित वेतन अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	7.00	2.33	4.67
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	0.66	1.34
योग : 03	**173.50**	**57.78**	**115.72**
योग : 102	**173.50**	**57.78**	**115.72**
277–शिक्षा			
01– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं			
0101– अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.100/रा.0)			
21– छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	500.00	0.00	0.00
0102– अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति (के.60/रा.40)			
21– छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	0.00	0.00	0.00
योग : 01	**500.00**	**0.00**	**0.00**
03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
01–वेतन	701.63	233.87	467.76
03–महगाई भत्ता	259.60	86.53	173.07
04–यात्रा व्यय	0.75	0.25	0.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
06–अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
07–मानदेय	1.60	0.53	1.07
08–कार्यालय व्यय	31.46	10.48	20.98
09–विद्युत देय	72.60	24.20	48.40
10–जलकर/जल प्रभार	3.00	1.00	2.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.32	0.44	0.88
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.68	1.56	3.12
13–टेलीफोन पर व्यय	0.75	0.25	0.50
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00	0.33	0.67
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.25	0.41	0.84
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2.70	0.90	1.80
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	3.30	1.10	2.20
29–अनुरक्षण	3.85	1.28	2.57
39–औषधि तथा रसायन	1.10	0.36	0.74
42–अन्य व्यय	0.77	0.25	0.52
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.43	0.47	0.96
45–अवकाश यात्रा व्यय	3.00	1.00	2.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.75	0.91	1.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
49-चिकित्सा व्यय	10.00	3.33	6.67
51-वर्दी व्यय	0.20	0.06	0.14
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	40.34	13.44	26.90
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	8.00	2.66	5.34
योग : 03	**1158.58**	**386.10**	**772.48**
04- अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
01-वेतन	1994.60	664.86	1329.74
02-मजदूरी	22.00	7.33	14.67
03-महगाई भत्ता	738.00	246.00	492.00
04-यात्रा व्यय	3.30	1.10	2.20
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.10	0.36	0.74
06-अन्य भत्ते	3.00	1.00	2.00
07-मानदेय	1.50	0.50	1.00
08-कार्यालय व्यय	17.60	5.86	11.74
09-विद्युत देय	900.00	300.00	600.00
10-जलकर/जल प्रभार	10.00	3.33	6.67
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.32	2.77	5.55
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	23.10	7.70	15.40
13-टेलीफोन पर व्यय	0.30	0.10	0.20
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	1.00	2.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	10.00	3.33	6.67
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	33.00	11.00	22.00
29-अनुरक्षण	44.00	14.66	29.34
42-अन्य व्यय	28.60	9.53	19.07
45-अवकाश यात्रा व्यय	9.00	3.00	6.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.60	1.20	2.40
49-चिकित्सा व्यय	27.60	9.20	18.40
51-वर्दी व्यय	1.00	0.33	0.67
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	100.24	33.41	66.83
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	48.40	16.13	32.27
योग : 04	**4031.26**	**1343.70**	**2687.56**
07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और			
पाठशालाओं का सुधार विस्तार (जिला योजना)			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु० लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिये निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	300.00	100.00	200.00
31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन)	21961.36	7979.29	13982.07
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00	0.00
योग : 07	**22261.36**	**8079.29**	**14182.07**
09- ज्योतिबाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय			
01-वेतन	1977.84	659.28	1318.56
02-मजदूरी	22.00	7.33	14.67
03-महगाई भत्ता	731.80	243.93	487.87
04-यात्रा व्यय	5.50	1.83	3.67
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	1.00	2.00
06-अन्य भत्ते	5.00	1.66	3.34
07-मानदेय	6.00	2.00	4.00
08-कार्यालय व्यय	17.60	5.86	11.74
09-विद्युत देय	700.00	233.33	466.67
10-जलकर/जल प्रभार	6.00	2.00	4.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00	2.00	4.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	19.36	6.45	12.91
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	6.66	13.34
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	10.00	3.33	6.67
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	3.33	6.67
29-अनुरक्षण	16.50	5.50	11.00
39-औषधि तथा रसायन	13.20	4.40	8.80
41-भोजन व्यय	363.00	121.00	242.00
42-अन्य व्यय	3.30	1.10	2.20
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.87	0.62	1.25
45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00	1.66	3.34
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	0.50	1.00
49-चिकित्सा व्यय	15.00	5.00	10.00
51-वर्दी व्यय	0.60	0.20	0.40
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	108.23	36.07	72.16
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	270.00	90.10	179.90
योग : 09	**4338.30**	**1446.14**	**2892.16**
13-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना			
01-वेतन	131.59	43.86	87.73

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिये निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
03-महगाई भत्ता	48.69	16.23	32.46
04-यात्रा व्यय	0.40	0.13	0.27
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
06-अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
07-मानदेय	30.00	10.00	20.00
08-कार्यालय व्यय	4.00	1.33	2.67
09-विद्युत देय	50.00	16.66	33.34
10-जलकर/जल प्रभार	120.00	40.00	80.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.30	1.10	2.20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50	1.83	3.67
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.16	0.34
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	1.66	3.34
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	54.25	18.08	36.17
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	10.00	3.33	6.67
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	0.33	0.67
29-अनुरक्षण	154.10	0.36	153.74
41-भोजन व्यय	55.00	11.66	43.34
42-अन्य व्यय	0.50	0.16	0.34
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	4.85	1.61	3.24
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.10	0.36	0.74
49-चिकित्सा व्यय	5.00	1.66	3.34
51-वर्दी व्यय	0.20	0.06	0.14
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	7.71	2.57	5.14
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	17.00	3.33	13.67
योग : 13	**711.69**	**177.12**	**534.57**
19-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति			
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00	0.00
89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश			
8901-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को			
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00	0.00
8902-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति			
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	88000.00	26666.66	61333.34
योग : 277	**121001.19**	**38099.01**	**82402.18**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
793- अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता			
03- मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था			
01-वेतन	6995.80	2331.93	4663.87
03-महंगाई भत्ता	2588.45	862.81	1725.64
04-यात्रा व्यय	30.80	10.26	20.54
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.80	1.93	3.87
06-अन्य भत्ते	20.00	6.66	13.34
07-मानदेय	0.15	0.05	0.10
08-कार्यालय व्यय	9.52	3.17	6.35
09-विद्युत देय	8.00	2.66	5.34
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.33	0.67
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.86	0.95	1.91
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.40	1.46	2.94
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	125.00	41.66	83.34
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.50	0.50	1.00
42-अन्य व्यय	2.90	0.96	1.94
46-अवकाश यात्रा व्यय	5.65	1.88	3.77
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.20	0.73	1.47
49-चिकित्सा व्यय	60.00	20.00	40.00
51-वर्दी व्यय	0.80	0.26	0.54
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	310.00	103.33	206.67
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	3.33	6.67
योग : 03	**10184.83**	**3394.86**	**6789.97**
योग : 793	**10184.83**	**3394.86**	**6789.97**
योग : 01	**141543.76**	**44946.33**	**96097.43**
102- सौक्षिक संगठनों को अनुदान			
03- डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना			
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2.80	0.00	0.01
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	12.00	0.00	0.01
योग : 03	**14.80**	**0.00**	**0.02**
योग : 102	**14.80**	**0.00**	**0.02**
800-अन्य व्यय			
03-शैक्षिक कार्यक्रम			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
0301-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
01-वेतन	920.15	306.71	613.44
02-मजदूरी	2.00	0.66	1.34
03-महंगाई भत्ता	340.46	113.48	226.98
04-यात्रा व्यय	2.00	0.66	1.34
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
06-अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
07-मानदेय	0.05	0.01	0.04
08-कार्यालय व्यय	4.02	1.34	2.68
09-विद्युत देय	14.30	4.76	9.54
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.33	0.67
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.65	0.55	1.10
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.32	0.44	0.88
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00	0.33	0.67
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2.00	0.66	1.34
29-अनुरक्षण	3.50	1.16	2.34
39-औषधि तथा रसायन	2.25	0.75	1.50
41-भोजन व्यय	200.00	66.66	133.34
42-अन्य व्यय	0.80	0.26	0.54
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	80.00	26.66	53.34
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33	0.67
49-चिकित्सा व्यय	2.50	0.83	1.67
51-वर्दी व्यय	0.10	0.03	0.07
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	50.00	16.66	33.34
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	0.33	0.67
योग 0301	**1632.60**	**544.09**	**1088.51**
0302- विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों के			
संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	440.00	146.66	0.01
योग : 03	**2072.60**	**690.75**	**1088.52**
05-आर्थिक उत्थान			
0501-राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण			
01-वेतन	217.19	72.39	144.80
03-महंगाई भत्ता	80.36	26.78	53.58

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
04-यात्रा व्यय	0.40	0.13	0.27
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
06-अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
07-मानदेय	0.50	0.16	0.34
08-कार्यालय व्यय	0.55	0.18	0.37
09-विद्युत देय	1.50	0.50	1.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.33	0.67
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.66	0.22	0.44
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.33	0.11	0.22
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	0.20	0.06	0.14
29-अनुरक्षण	1.00	0.33	0.67
46-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33	0.67
49-चिकित्सा व्यय	1.20	0.40	0.80
51-वर्दी व्यय	0.03	0.01	0.02
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	13.00	4.33	8.67
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.10	0.03	0.07
योग : 0801	**320.52**	**106.78**	**213.74**
0503-विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र			
01-वेतन	28.33	9.44	18.89
03-महंगाई भत्ता	10.48	3.49	6.99
04-यात्रा व्यय	0.10	0.03	0.07
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.05	0.10
06-अन्य भत्ते	0.25	0.08	0.17
07-मानदेय	0.01	0.00	0.01
08-कार्यालय व्यय	0.22	0.07	0.15
09-विद्युत देय	2.00	0.66	1.34
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20	0.06	0.14
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.00	0.00	0.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.20	0.06	0.14
46-अवकाश यात्रा व्यय	0.20	0.06	0.14
49-चिकित्सा व्यय	0.50	0.16	0.34
51-वर्दी व्यय	0.02	0.00	0.02
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	1.50	0.50	1.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.50	0.16	0.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू० लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
योग : 0503	**44.66**	**14.82**	**29.84**
योग : 05	**365.18**	**121.60**	**243.58**
योग : 800	**2437.78**	**812.35**	**1332.10**
योग : 80	**2452.58**	**812.35**	**1332.12**
योग 2225	**143996.34**	**45758.68**	**97429.55**
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01-पुनर्वास			
800-अन्य व्यय			
03-कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता			
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	27.81	9.27	18.54
योग : 800	**27.81**	**9.27**	**18.54**
योग : 01	**27.81**	**9.27**	**18.54**
02- समाज कल्याण			
104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
02- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं			
को सहायता			
20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	1666.66	3333.34
03-वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासिक गृह			
01-वेतन	48.77	16.25	32.52
03-महगाई भत्ता	18.04	6.01	12.03
04-यात्रा व्यय	0.10	0.03	0.07
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.06	0.14
06-अन्य भत्ते	0.20	0.06	0.14
07-मानदेय	0.01	0.00	0.01
08-कार्यालय व्यय	0.15	0.05	0.10
09-विद्युत देय	0.50	0.16	0.34
10-जलकर/जल प्रभार	0.25	0.08	0.17
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.15	0.05	0.10
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25	0.08	0.17
17-किराया, उपशुल्क और कर -स्वामित्व	1.00	0.33	0.67
29-अनुरक्षण	0.30	0.10	0.20
41-भोजन व्यय	3.00	1.00	2.00
42-अन्य व्यय	0.10	0.03	0.07
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	0.33	0.67
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33	0.67
49-चिकित्सा व्यय	0.60	0.20	0.40
51-वर्दी व्यय	0.02	0.00	0.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू० लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए [illegible] वित्तीय स्वीकृति
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	2.50	0.83	1.67
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	0.33	0.67
योग : 03	**79.14**	**26.31**	**52.83**
04- भिक्षावृत्ति का निवारण			
01-वेतन	437.38	145.79	291.59
03-महगाई भत्ता	161.83	53.94	107.89
04-यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.30	0.10	0.20
06-अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
08-कार्यालय व्यय	1.00	0.33	0.67
09-विद्युत देय	2.00	0.66	1.34
10-जलकर/जल प्रभार	0.50	0.16	0.34
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.16	0.34
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.16	0.34
13-टेलीफोन पर व्यय	0.15	0.05	0.10
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.16	0.34
17-किराया, उपशुल्क और कर -स्वामित्व	1.65	0.55	1.10
29-अनुरक्षण	0.50	0.16	0.34
41-भोजन व्यय	5.00	1.66	3.34
42-अन्य व्यय	0.15	0.05	0.10
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.00	0.66	1.34
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.16	0.34
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
49-चिकित्सा व्यय	2.00	0.66	1.34
51-वर्दी व्यय	0.08	0.02	0.06
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	25.00	8.33	16.67
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	1.66	3.34
योग : 04	**648.54**	**216.07**	**432.47**
05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
0501-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	135356.00	58333.33	77022.67
0502-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	30000.00	10000.00	20000.00
योग-05	**165356.00**	**68333.33**	**97022.67**
06-वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु० लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	600.00	200.00	400.00
89–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश			
8901–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	15000.00	5000.00	10000.00
योग : 104	**186683.68**	**75442.37**	**111241.31**
107–स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
03– मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान			
20–सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन)	15.00	5.00	10.00
31–सहायता अनुदान– सामान्य (वेतन)	1541.13	513.71	1027.42
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00	0.00
योग : 03	**1556.13**	**518.71**	**1037.42**
योग : 107	**1556.13**	**518.71**	**1037.42**
200–अन्य कार्यक्रम			
03– आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम् (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति			
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	2500.00	833.33	1666.67
04–उभयलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तियों के अधिकारो एवं हितों की रक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	154.70	0.00	154.70
05–सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	108.00	36.00	72.00
06–सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00		0.00
07–आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति			
21–छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	40000.00	13333.33	26666.67
08–आई.ए.एस./पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	55.00	18.33	36.67
09–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण			
02–मजदूरी	20.00	6.66	13.34
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.00	5.33	10.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रु0 लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिये निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
13-टेलीफोन पर व्यय	6.00	2.00	4.00
42-अन्य व्यय	42.50	14.16	28.34
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00	3.33	6.67
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	380.00	126.66	253.34
योग : 09	**474.50**	**158.14**	**316.36**
10-मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	50.00	**0.000**	0.00
11-दिल्ली स्थित संस्थानों में आई.ए.एस./पी.सी.एस. प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	0.01	0.00	0.01
12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	60000.00	8333.33	51666.67
13-"अभ्युदय योजना" के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण			
07-मानदेय	1500.00	333.33	1166.67
42-अन्य व्यय	1200.00	266.66	933.34
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	300.00	66.66	233.34
योग : 13	**3000.00**	**666.65**	**2333.35**
योग : 200	**106342.21**	**23379.11**	**82913.10**
800-अन्य व्यय			
03-आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था			
01-वेतन	41.53	13.84	27.69
03-महगाई भत्ता	15.37	5.12	10.25
06-अन्य भत्ते	0.25	0.08	0.17
07-मानदेय	0.01	0.00	0.01
39-औषधि तथा रसायन	0.30	0.10	0.20
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.15	0.05	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	1.50	0.50	1.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	1.25	0.41	0.84
योग : 03	**60.36**	**20.10**	**40.26**
योग : 800	**60.36**	**20.10**	**40.26**
योग : 02	**294642.38**	**99360.29**	**195232.09**
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन			
0301-अधिष्ठान			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू० लाख में

योजना का नाम/लेखाशीर्षक/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के रूप में 04 माह हेतु पूर्व में निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवशेष 08 माह के लिए निर्गत किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति
01-वेतन	355.35	118.45	236.90
03-महगाई भत्ता	131.48	43.82	87.66
04-यात्रा व्यय	2.75	0.91	1.84
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.16	0.34
06-अन्य भत्ते	1.00	0.33	0.67
07-मानदेय	0.20	0.06	0.14
08-कार्यालय व्यय	1.65	0.55	1.10
09-विद्युत देय	2.00	0.66	1.34
10-जलकर/जल प्रभार	0.50	0.16	0.34
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	0.33	0.67
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	0.50	1.00
49-चिकित्सा व्यय	6.60	2.20	4.40
51-वर्दी व्यय	0.15	0.05	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	21.00	7.00	14.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	0.33	0.67
योग : 0301	**526.68**	**175.51**	**351.17**
0302- वृद्धावस्था/किसान पेंशन			
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	500000.00	38333.33	461666.67
योग : 03	**500526.68**	**38508.84**	**462017.84**
योग : 102	**500526.68**	**38508.84**	**462017.84**
योग : 60	**500526.68**	**38508.84**	**462017.84**
योग : 2235	**795196.87**	**137878.40**	**657268.47**
महायोग			
योग 2013	**0.35**	**0.00**	**0.01**
योग 2225	**143996.34**	**45758.68**	**97429.55**
योग 2235	**795196.87**	**137878.40**	**657268.47**
महायोग(2013+2225+2235)	**939193.56**	**183637.08**	**754698.03**

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।